



आमने-सामने

सबके लिए भोजन क्या हम ऐसा कर सकते हैं?

वी. रुकमणि राव

कुछ महीनों पहले भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय शर्म की बात है कि हमारे देश के 50% बच्चे कुपोषित हैं। विश्व खाद्य संगठन के 2005-2006 के खाद्य सुरक्षा संकेत के अनुसार 46% बच्चे अपनी उम्र के अनुसार लम्बाई में छोटे और कम वजन के कारण 'बौने' हो गए थे तथा 33% पुरुष व 35.7% औरतें कम वजन की समस्या से ग्रस्त थीं। उसी वर्ष किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 15-49 वर्ष की आयु की 58% महिलाओं में अनीमिया (खून की कमी) की शिकायत पाई गयी। यह बड़ी विडम्बना है कि देश के लिए भोजन जुटाने वाले किसान खुद भुखमरी और कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करने को बाध्य थे। पिछले दस सालों में दो लाख किसानों ने आत्महत्या की है। यहां इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शोध अध्ययन के अनुसार हमारे देश में कृषि का 75% काम, विशेषतः बिना पानी वाले सूखे इलाकों में औरतों द्वारा किया जाता है।

आखिर लोग भूखे क्यों हैं?

255.36 अरब टन खाद्यान का सालाना उत्पादन करने वाले हमारे देश में आखिर लोग भूखे क्यों हैं— यह सवाल हमें खुद से ही पूछना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सरकार की मौजूदा नीतियां इस समस्या को संबोधित करने में असमर्थ है। महज अनाज पैदा करना और उसे भंडार में रखना काफी नहीं है। भोजन की उपलब्धि होना ही भूख का इलाज नहीं है। हमें भोजन तक पहुंच भी

बनानी होगी। या तो लोगों के पास अपने खाने के लिए भोजन उत्पादन का हुनर होना चाहिए या उनके पास बाज़ार से भोजन खरीदने की क्षमता हो अथवा सरकार द्वारा कम कीमत पर अनाज की बिक्री के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम इस बात की समीक्षा करें कि दरअसल भूखा कौन रहता है तो हम पाएंगे कि दलित, आदिवासी, भूमिहीन मज़दूर, मुसलमान काश्तकार, पलायनकर्ता श्रमिक सबसे अधिक निचली पायदान पर मौजूद होते हैं। लिहाज़ा यह तथ्य बेहद स्पष्ट है कि देश में भोजन की कमी नहीं है बल्कि सरकार की नीतियां ही भूख पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। खाद्य सुरक्षा अभियान ने इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर उठाया है और इस सच को उजागर किया है कि सरकार निम्न सुनिश्चित करने में असमर्थ रही है:

1. कोई भी रात को भूखे पेट न सोए।
2. माएं अपने बच्चों को भूख सहने की सीख न दें।



ऊसर ज़मीन पर लहलहाती फसल

3. खाद्य व्यवस्था के खराब प्रशासन के कारण अनाज का एक भी दाना बेकार न जाए।
4. दलित व आदिवासी बच्चों में कुपोषण न हो तथा कुपोषण के कारण बच्चे मौत का शिकार न बनें।
5. किसी भी महिला में खून की कमी न हो।
6. बुजुर्ग और कमज़ोर व्यक्ति अकेले मरने के लिए मजबूर न हों।
7. आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के योजना की व्यवस्था की जाए।
8. दलित बच्चों को गरिमा के साथ भोजन मिले तथा दलित व आदिवासी वर्ग के रसोइयों की नियुक्ति में किसी भी तरह का भेदभाव न बरता जाए।
9. बाज़ार में उचित दर पर भोजन उपलब्ध हो।

हालांकि सरकार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में असफल रही है परन्तु नागरिक समाज संगठनों की मदद से दलित महिलाओं ने एक अनोखी अगुवाई की है। इसका एक उदाहरण यहां प्रस्तुत है:-

भूख से बचाव के लिए आगे का रास्ता

आंध्र प्रदेश की डेकन डेवलपमेंट सोसाइटी ने 32 गांवों की 3000 दलित महिलाओं के साथ मिलकर घरेलू खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए औरतों के फ़ैसले की क्षमता का विकास किया जिससे वे यह तय कर सकें कि ज़मीन पर क्या उगाया जाए और कैसे। जवाहर रोज़गार योजना के विशेष कार्यक्रम की धनराशि की मदद से दक्खिन पठार क्षेत्र की ऊसर और निम्न उपजाऊ भूमि का विकास किया गया। ज़मीन की मिल्कियत वाले पुरुष किसानों से सलाह करने के बाद उनकी रज़ामंदी को क़ानूनी रूप से दर्ज किया गया और एक घरेलू खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें स्थानीय ज्वार 'सोरगम' और अन्य खाद्य फ़सलों की खेती की गई। तीन वर्ष की अवधि वाला 4200 का कर्ज किश्तों में किसानों को इस खेती के लिए मुहैया कराया गया जिसका इस्तेमाल निम्न के लिए किया गया:

1. खाद्य फ़सल पैदा करने के लिए ऊसर ज़मीन को जोतने और खेती करने के लिए।



‘सोरगम’ ज्वार की रोटी

2. जैविक खाद की मदद से ज़मीन के पुनरुत्पादन के लिए।
3. वर्मी काम्पोस्टिंग (केंचुओं की मदद से खाद बनाना)।
4. मिट्टी व नमी संरक्षण के लिए।
5. जैव-विविधता पर ज़ोर देते हुए बीज संरक्षण के लिए (89 प्रकार की खाद्य फ़सल के बीज)।

इस कार्यक्रम के तहत गांव के गरीब परिवारों की पहचान की गई और भोजन की कमी के दौरान स्थानीय ज्वार 'सोरगम' की उपलब्धि के लिए वैकल्पिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई।

एक साथ मिलकर सामूहिक स्तर पर काम करने से औरतों ने महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए। हर गांव में 100 औरतों का एक समूह, जिनमें पांच महिलाएं नेतृत्व भूमिका में थीं कार्यरत था। इस प्रक्रिया से उगाया गया 'सोरगम' ज्वार ग्रामीण स्तर के एक 'ग्रेन बैंक' (अनाज कोष) में रखा गया जिसे अनाज की कमी के दौरान कम कीमत पर गरीब परिवारों को बेचा जाता है। गरीब परिवारों को पहचानने के लिए गांव के स्तर पर एक खुली प्रक्रिया चलाई जाती है जिसमें परिवार की आय के अनुसार महिलाएं खुद गरीब परिवारों की सूची तैयार करती हैं।

पहले ज़मीन ऊसर पड़ी रहती थी क्योंकि परिवार के पास अनाज उगाने के लिए ज़रूरी निवेश मुहैया नहीं था या फिर पुरुष बड़े किसानों की देखा-देखी कर्जा लेकर गन्ने और अन्य नकदी फ़सल की खेती करते थे। परन्तु इस कार्यक्रम की सहायता से दलित महिलाओं ने निम्न सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं:

1. खाद्य सुरक्षा
2. पोषण सुरक्षा
3. ईंधन सुरक्षा (खेती से निकले कूड़े का इस्तेमाल करके)
4. आजीविका सुरक्षा
5. पारिस्थितिकीय सुरक्षा— ऊसर ज़मीन की खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ी।

आंध्र प्रदेश के अन्य ज़िलों व क्षेत्रों में भी इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। समस्त देश में भी इस तरह के परीक्षण शुरू किए गए हैं।

वे ग्रामीण समुदाय जिनके पास अपनी कुछ ज़मीन मौजूद है वे अपने खाने के लिए अनाज उगा सकते हैं परन्तु शहरी समुदायों को अपने अधिकारों तक पहुंच बढ़ाने के तरीके तलाशने होंगे। सामुदायिक स्तर पर कुछ इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं:

1. यह सुनिश्चित करें कि आपके पड़ोस का समेकित बाल विकास केंद्र ठीक से काम कर रहा है और यहां पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध है। इसके लिए आवश्यक है कि इलाके की मातृ समिति नियमित रूप से मिलकर भोजन की गुणवत्ता की जांच करें और सुनिश्चित करें कि बच्चे खाना खा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चों के हिस्से का पोषणयुक्त आहार दूधारू जानवरों को उनके दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए खिलाया जा रहा है। मांओं को ध्यान देना चाहिए कि केंद्र में अच्छा व पोषक भोजन दिया जाए।
2. स्कूलों में दोपहर का भोजन: सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। स्कूल के प्रशासन को खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। आजकल हफ़्ते में दो बार अंडे भी दिए जाने का आदेश है। समुदाय के सदस्यों की मांगों के बिना इन कार्यक्रमों का सुचारु कार्यान्वयन मुश्किल है।
3. सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कम कीमत का राशन भी मुहैया कराया है। भ्रष्टाचार के कारण यह अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचता। निगरानी



सौराष्ट्र: ज्वार की फसल

समितियों की मदद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दुकानदार उपलब्ध अनाज व उनकी विक्रय दर स्पष्ट रूप से दुकान के बाहर लगाकर रखे।

4. शहरी समुदाय सामूहिक तौर पर थोक से अच्छा व सस्ता अनाज भी खरीद सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय शोषण

एक ओर समुदाय अपने भोजन के अधिकार तक पहुंच सुनिश्चित करने व भूख को कम करने के लिए संघर्षरत है वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण लोगों के खाद्य अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। *विश्व व्यापार संगठन* इस बात का लगातार दबाव बना रहा है कि भारत अपने बाज़ार को खाद्य फ़सल के आयात-निर्यात के लिए खोल दे। इससे हमारा खाद्य उत्पादन असंतुलित होगा और मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाएगी। बहुराष्ट्रीय बीज उद्योग जैसे *मॉनसेंटो* अनुवांशिक बीज और खाद्य फ़सलों को प्रोत्साहन देकर किसानों के हाथ से नियंत्रण छीन रहा है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी परोक्ष प्रभाव पड़ रहा है। आम नागरिकों की हैसियत से हमें इसके खिलाफ़ संघर्ष करना होगा। महिला व जन आंदोलन दोनों ही बीज, पानी, जंगल और भूमि के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हमें अपना भोजन खुद पैदा करने और अपने लोगों का पेट भरने के लिए संसाधन चाहिए। हमें एकजुट होकर भूख को जड़ से उखाड़ फेंकने और सबके लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष जारी रखना होगा।

रुकमणि राव ग्राम्या संदर्भ केंद्र से जुड़ी नारीवादी कार्यकर्ता हैं।